प्रेषक,

सचिव/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
देहरादून।

सेवा में,

श्रीमान जिला सूचना अधिकारी,
देहरादून ।

पत्रांक सं० 528/जि०वि०से०प्रा०दे०दून/2026

महोदया,

निम्न विज्ञप्ति को सभी प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में आवश्यक रूप से प्रकाशित करने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रेस नोट

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को "समाधान समारोह" के अन्तर्गत विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित फौजदारी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, चैक बॉउन्स मामले, बैंक ऋण व वसूली मामले, दीवानी एवं वैवाहिक मामले, बीमा दावे मामले, सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम सम्बंधी मामले, शैक्षणिक व सेवा संबंधी मामले, अन्य कई प्रकृति के वादों का सुलह/राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिन वादकारियों के वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है तथा जो अपने वादों का आपसी सुलह/राजीनामे के आधार पर निस्तारण कराना चाहते हैं, वे दिनांक 20 अगस्त 2026 तक अपने वादों को आवश्यक रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध करवा ले। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वादकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

संपर्क हेतु कार्यालय का दूरभाष नं0 : 0135–2520873

ई–मेल : dehradundlsa13@gmail.com

इस अभियान के अंतर्गत जिला देहरादून से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित मामलों के सम्बंध में सम्बंधित वाद के पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से प्री मीटिंग/सुलह वार्ता हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आमंत्रित किया जा रहा हैं। वार्ता सफल होने पर सम्बंधित वाद को विशेष लोक अदालत में निस्तारित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राधिकरण के सहयोग से की जायेगी।

अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा जिला देहरादून के समस्त वादकारियों से अनुरोध है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित अपने मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सम्बंधित न्यायालय अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून से सम्पर्क करें।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विज्ञप्ति को सभी प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में आवश्यक रूप से प्रकाशित करने हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि समस्त वादकारी/स्थानीय जनता आगामी विशेष लोक अदालत से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके।

Seema 12/5/26

(सीमा डुँगराकोटी)
सचिव/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि :

1. समस्त सम्मानित सम्पादक, दैनिक समाचार–पत्रों, देहरादून को उक्त सूचना अविलम्ब प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
2. समस्त सम्मानित इलैक्ट्रोनिक मीडिया के कार्यकम प्रमुख को सूचनार्थ एवं स्क्रॉल के माध्यम से प्रकाशन हेतु प्रेषित।

कार्यालय,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
देहरादून।